(202)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक ..../2018

मानतीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी-3096/2018/इंदौर/भू.रा.

(1) पूनमचंद पिता कन्हैयालाल खाती
आयु वयस्क धंधा कृषि

(2) रामलाल पिता कन्हैयालाल खाती
आयु वयस्क धंधा कृषि

(3) लक्ष्मीनारायण पिता कन्हैयालाल खाती
आयु वयस्क धंधा कृषि
सभी निवासी ग्राम कुडाना तहसील सॉवेर
जिला इन्दौर ::– **आवेदकगण**

वि रू द्ध

(1) कैलाश पिता गोर्वधन खाती
आयु 65 वर्ष लगभग धंधा कृषि

(2) बाबू पिता गोर्वधन खाती
आयु 58 वर्ष लगभग धंधा कृषि
दोनो निवासी ग्राम कुडाना तहसील सॉवेर
जिला इन्दौर ::– **अनावेदकगण**

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 14/अ–70/14–15 मे पारित आदेश दिनांक 15/3/2018 जिसके द्वारा अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के समक्ष लंबित धारा 250 म. प्र. भू. राजस्व संहिता के अन्तर्गत संस्थित उपरोक्त वर्णित प्रकरण की कार्यवाही स्थगित करने हेतु, स्वीकार किया गया से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3096/2018/इंदौर/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-02-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	